भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 136

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत ओडीएफः चरण-॥

***136. श्री संजय दिना पाटीलः**

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के चरण-।। के तहत किसी गांव को 'खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस' घोषित करने के मानदंड परिभाषित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के चरण-II के तहत ओडीएफ घोषित किए गए गांवों की कुल संख्या की जानकारी दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के चरण-II के कार्यान्वयन में स्व-सहायता समूहों को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो उन्हें क्या-क्या विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी गई हैं;

(घ) क्या स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के चरण-।। के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के चरण-।। के बेहतर कार्यान्वयन के लिए किसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो निगरानी, अपशिष्ट प्रबंधन और जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनाई गई तकनीकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस योजना का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया है; और

(ज) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकनों के निष्कर्ष क्या हैं और कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ज): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 13/02/2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *136 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) एसबीएम-जी चरण-।। में किसी गांव को खुले में शौच से मुक्त प्लस घोषित करने के लिए अपनाए जा रहे विशिष्ट मानदंड और प्रक्रिया निम्नानुसार हैं:-
ओडीएफ प्लस गांव को एक ऐसे गांव के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है तथा दृष्टिगत रूप से स्वच्छ होता है। ओडीएफ प्लस गांवों के 3 प्रगतिशील चरण हैं:

- **ओडीएफ प्लस उदीयमान**: ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कर रहा है
- **ओडीएफ प्लस उज्ज्वल**: ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था कर रहा है
- **ओडीएफ प्लस उत्कृष्ट**: ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है; दृष्टिगत रूप से स्वच्छता बनाए रखता है अर्थात उसमें न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम स्थिर गंदा पानी हो, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरा नहीं पड़ा हो; और जिसमें ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) संदेश प्रदर्शित किए गए हैं।

ऐसा गांव जो सभी ओडीएफ प्लस मानदंडों को पूरा करता है, वह ग्राम सभा की बैठक में स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित करेगा। जिले को पहली बार ओडीएफ प्लस घोषणा के 90 दिनों के भीतर उस गांव का अनिवार्य तृतीय-पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए। अनिवार्य तृतीय पक्ष सत्यापन केवल ओडीएफ प्लस (उत्कृष्ट) गांवों के लिए किया जाएगा। तथापि, ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरों पर कमान श्रृंखला में उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा सभी तीन श्रेणियों (उदीयमान/उज्ज्वल/उत्कृष्ट) में ओडीएफ प्लस गांवों के लिए पर्यवेक्षी सत्यापन किया जा सकता है।

(ख) महाराष्ट्र में 10.2.2025 तक कुल 37,583 गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस (उदीयमान-8,574, उज्ज्वल-196, उत्कृष्ट-28,813) घोषित किया गया है।

(ग) एसबीएम-जी के चरण-II के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की ग्रामीण क्षेत्रों में एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन में उत्प्रेरक की भूमिका है। इन पर मांग सृजन के लिए प्रेरित करने, क्षमता निर्माण, निर्माण में सहायता और स्वच्छता सुविधाओं का सतत् उपयोग सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने सहित सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय भागीदारी के लिए विचार किया जा सकता है।

(घ) स्वच्छता राज्य का विषय है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का दूसरा चरण 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने और सभी गांवों को ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन से कवर करने अर्थात्

गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करने के लिए लागू किया जा रहा है। यह जानते हुए कि शौचालयों के निर्माण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और यह कोई एक बार की गतिविधि नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसे नए उभरते परिवार, प्रवासी परिवार आदि हैं जिन्हें शौचालयों की आवश्यकता होगी, नए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण एसबीएम (जी) के चरण- II के तहत एसबीएम (जी) निधियों के उपयोग की पहली प्राथमिकता बना हुआ है और राज्यों को निरंतर सलाह दी जाती है कि वे वंचित परिवारों हेतु शौचालयों की योजना बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर इस अंतर को दूर करें। राज्य ने संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) नीति तैयार की है।

(ङ) और (च) मोबाइल ऐप के माध्यम से एसबीएम(जी) के तहत जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों द्वारा की गई आईएचएचएल, सीएससी और एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों की प्रगति को कैप्चर करने के लिए एक वेब आधारित एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) स्थापित की गई है। कार्यक्रम के तहत निर्मित सभी पारिवारिक और सामुदायिक स्तर की संपत्तियों को दो मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैग किया गया है - (i) आईएचएचएल जियोटैगिंग के लिए एसबीएम और (ii) एसबीएम 2.0 फॉर सीएससी एंड एसएलडब्ल्यूएम अस्सैट्स रिपोर्टिंग। सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा देने और मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसबीएम (जी) चरण-I के तहत प्राप्त किए गए कार्यक्रम संबंधी लाभ बने हुए हैं और हम चरण II के उद्देश्यों की ओर बढ़ते हैं, 360-डिग्री संचार दृष्टिकोण का प्रसार करते हुए, जन आंदोलन की भावना पर आधारित, इस अवधारणा ने पारंपरिक सीमाओं को पार कर लिया है।

(छ) और (ज) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) मलीय कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम), बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, और ग्रे-वाटर प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) सहित पारिवारिक स्वच्छता मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष की सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) भी आयोजित करता है। एसएसजी के भाग के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता मापदंडों के संबंध में किए गए उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर स्थान दिया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) 2023-24 सर्वेक्षण में भारत भर के 729 जिलों के 17,304 गांवों और इन 17,304 गांवों में 85,901 सार्वजनिक स्थानों जैसे कि विद्यालयों, आंगनवाडियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाजार/धार्मिक स्थलों आदि को कवर किया गया। एसबीएम (जी) से संबंधित मुद्दों पर फीडबैक के लिए लगभग 2,60,059 परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। एसएसजी 2023-24 के निष्कर्षों को उपचारात्मक उपाय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था।

*****